प0 सं0—14/डी0एल0ए0 (बौद्ध स्तूप)—पूर्वी चम्पारण—93/2013—1688/रा0, पटना—15 दिनांक—28/06/2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू—अर्जन शाखा)

अधिघोषणा

एस0ओ0 रा0 पटना,दिनांक................................

चूकिं बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—ताजपुर देउर,थाना—केसरिया, थाना न0—235,जिला पूर्वी चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् केसरिया बौद्ध स्तूप के समीप पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु अर्जित 5.00 एकड़ जमीन से सटे मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु सम्पर्क सड़क के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है,इसलिए इनके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त ग्राम—ताजपुर देउर, थाना न0—235 के भीतर कमोवेश बीघा X कट्ठा X धूर की जो मानक माप से 0.26 1/2 एकड़ (साढ़े छब्बीस डी0) के बराबर होता है, एक भूखंड अपेक्षित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

अंश खेसरा:— 192, 199 [redacted] [redacted]

चौहदी:— उ0—खेसरा 188,198,199 का अंश
द0—खेसरा 199,192 का अंश
पु0—सड़क
प0—छौर

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के वे भाग, जिन्हें जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिये खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेगें।

यह घोषणा अधिनियम 1894 की धारा—6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा—3 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हें।

भूमि का नक्शा भू—अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

समाहर्त्ता,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/
सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञा0 सं0–14/डी0एल0ए0 (बौद्ध स्तूप)–पर्वी चम्पारण–93/2013–1688/रा0, पटना–15 दिनांक–28/06/2013

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचना प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

28/6/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।